

कार्यालय केन्द्रीय नजारात, जनपद न्यायालय, गाजीपुर।
जनपद न्यायालय, गाजीपुर के परिसर में गेट नं० 12 के सामने स्थित चाय, नमकीन व मीठा की दुकान नं०- 02
व बाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), मुहम्मदाबाद, गाजीपुर के परिसर में स्थित चाय, नमकीन व
मीठा, पान एवं फोटो स्टेट की दुकान की नीलामी हेतु निविदा सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या- 7801/ Admin. (B-I) Section, Allahabad Dated- 30.07.2026 एवं परिपत्र सं०- 797/ Admin. (B-I) Section, Dated- 15.03.1994 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में शेष दिनों हेतु जनपद न्यायालय, गाजीपुर के परिसर में गेट नं० 12 के सामने स्थित चाय, नमकीन व मीठा की दुकान नं०- 02 व बाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), मुहम्मदाबाद, गाजीपुर के परिसर में स्थित चाय, नमकीन व मीठा, पान एवं फोटो स्टेट की दुकान की नीलामी हेतु सीलबंद निविदा/ टेण्डर दिनांक- 05.09.2026 को सायं 04.00 बजे तक कार्यालय केन्द्रीय नजारात, जनपद न्यायालय, गाजीपुर में आमंत्रित किया जाता है। जिसे नीलामी समिति के समक्ष दिनांक- 08.09.2026 को सायं 04.00 बजे खोला जाएगा।

इच्छुक आवेदक निविदा/टेण्डर खुलने के समय उपस्थित हो सकते हैं।

निविदा की शर्तें निम्नवत हैं-

- 1- इच्छुक व्यक्ति जनपद न्यायालय, गाजीपुर के परिसर में गेट नं० 12 के सामने स्थित चाय, नमकीन व मीठा की दुकान नं०- 02 व बाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), मुहम्मदाबाद, गाजीपुर के परिसर में स्थित चाय, नमकीन मीठे की दुकान, पान की दुकान एवं फोटो स्टेट की दुकान की नीलामी हेतु सीलबंद निविदा पंजीकृत डाक एवं व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नियत तिथि एवं समय पर भेज/ जमा कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 2- सबसे उच्च मूल्य की निविदा स्वीकार की जायेगी, किन्तु किसी भी निविदा को सरसरी तौर पर निरस्त करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित है। निविदा के साथ पहचान पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- 3- निविदा/टेण्डर अंतिम रूप से स्वीकृत होने के पश्चात् उसकी सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर उच्चतम टेण्डर वाले क्रेता/ठेकेदार को टेण्डर की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी।
- 4- जब तक समिति द्वारा स्वीकार की गयी उच्चतम टेण्डर/निविदा को समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित नहीं किया जाता है तब तक उपरोक्त व्यावसायिक दुकानों/प्रतिष्ठानों को ठेकेदार द्वारा कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जायेगी।
- 5- टेण्डर/निविदा में वही व्यक्ति टेण्डर प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनके ऊपर विभाग का कोई बकाया अवशेष न हो।
- 6- टेण्डर/निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को है।
- 7- टेण्डर/निविदा स्वीकृत करने के पूर्व किसी स्तर पर बिना पूर्व सूचना दिये निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित है।
- 8- उच्चतम निविदा/टेण्डर अंतिम रूप से स्वीकृत होने के पश्चात् क्रेता/ठेकेदार द्वारा न्यायपालिका, गाजीपुर से अनुज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यावसायिक दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोला जाएगा।

दिनांक- 21/08/2026

(शक्ति सिंह-1)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं०- 01, गाजीपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- श्रीमान् निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- नोडल ऑफिसर, कम्प्यूटर कक्ष, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गाजीपुर के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3- जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर को शासनादेश संख्या-562/उन्नीस-2-2007-1007/74(टी०सी०)दिनांक-04.07.2007 के प्राविधानों के अनुसार कम से कम दो समाचार पत्रों में नीलामी/टेण्डर की विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचना पट्ट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
- 4- श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर चस्पा किये जाने हेतु-

- 1- श्रीमान् जिलाधिकारी, गाजीपुर।
- 2- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
- 3- श्रीमान् अध्यक्ष, जिला पंचायत, गाजीपुर।
- 4- श्रीमान् तहसीलदार, सदर, गाजीपुर।
- 5- कार्यालय विकास भवन, गाजीपुर।
- 6- श्रीमान् उपजिलाधिकारी, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर।
- 7- श्रीमान् तहसीलदार, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर।
- 8- श्रीमान् उपजिलाधिकारी, सैदपुर, गाजीपुर।
- 9- श्रीमान् तहसीलदार, सैदपुर, गाजीपुर।
- 10- कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गाजीपुर।
- 11- वाह्य न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), मुहम्मदाबाद, गाजीपुर।
- 12- सहायक नाजिर, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को 10 प्रतियों में सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करने हेतु।

दिनांक- 21/08/2026

(शक्ति सिंह-।)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं०- 01, गाजीपुर।